

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

05 / 2024
29.01.2024

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक

..... सायल

बनाम

अबरार पुत्र हफीजुर्रहमान जाति मुसलमान पठान निवासी मदनी मस्जिद के पास बहीर टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-1-अभियोजन अधिकारी, राजकीय परोकार
2-गैर सायल स्वयं उप.।

निर्णय

दिनांक 19.04.2024

प्रस्तुत इस्तगासे का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल अबरार पुत्र हफीजुर्रहमान जाति मुसलमान पठान निवासी मदनी मस्जिद के पास बहीर टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृत्ति में लीन है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये हैं उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध अभियोग क्रमशः 374/2023 दिनांक 01.12.2023 थाना कोतवाली, 363/2023 दिनांक 06.11.2023 थाना कोतवाली धारा 13 RPO में दर्ज होकर दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गैर सायल काफी समय से बदमाशों के साथ बैठ कर जुआ-सट्टा खेलने का अपराध करने लग गया है तथा अन्य लोगों को भी अपराध करने व जुआ खेलने के लिए उकसाने लग गया है। गैर सायल की इन अपराधिक गतिविधियों से समाज के लोगों पर काफी बुरा असर पड रहा है। गैर सायल की आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

गैर सायल की बहस सुनी गई। गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणों में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 13 RPO के है न कि किसी बड़े अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल ने निवेदन किया कि वर्तमान में वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है तथा उसके खिलाफ कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे में जिन प्रकरणों को आधार बनाया गया हैं, वे गत वर्ष के है तथा सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है व वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे किसी भी बड़े अपराध का आरोप नहीं है। गैर सायल वर्तमान में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। पुलिस अधीक्षक, टोंक से गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 01.12.2023 के पश्चात् कोई नए अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए या नहीं, इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस अधीक्षक, टोंक ने पत्र क्रमांक 14993 दिनांक 18.03.2024 से अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया कि गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 01.12.2023 के पश्चात् कोई नया आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था के लिए खतरा प्रतीत नहीं होता है।

फलतः पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक